रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032024-253382
CG-DL-E-27032024-253382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2024/चैत्र 6, 1946
No. 218]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2024/CHAITRA 6, 1946

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2024

सा.का.नि. 232(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लघु उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन, उपनिदेशक (सामान्य प्रशासनिक विभाग) समूह 'क' और 'ख' पद, भर्ती नियम, 2000 के अधिक्रमण में, सिवाय इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गई चीजें, इसके द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में उपनिदेशक (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विकास संगठन, उपनिदेशक (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि- इस संबंध में भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य विषय उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए निर्देशानुसार होंगे।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा:-

बशर्ते कि केन्द्र सरकार, अगर आश्वस्त है कि इस तरह के विवाह को ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित अथवा गैर-चयनित पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपनिदेशक (सामान्यशासनिक प्रभाग)	5*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर -11, (रु. 67700-208700)	चयनित पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(क) 60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ख) 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100-177500 रुपए) में ऐसे सहायक निदेशक ग्रेड-**I** (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच साल की नियमित सेवा की हो और प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों में दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो टिप्पणी : जहां कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनसे वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम ना हो और जिन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी पर प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति या आमेलन:** केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के तहत ऐसे अधिकारी, - (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष में स्तर-10 (56100-177500/- रुपए) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; आ (ii) प्रशासन या स्थापना या लेखा मामलों में पांच वर्षों का अनुभव। टिप्पण 1: फीडर वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित), केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से	यदि विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए) 1. अपर विकास आयुक्त (प्रशासन) विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय– अध्यक्ष; 2. निदेशक या संयुक्त विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय– सदस्य; और 3. संयुक्त निदेशक, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय – सदस्य	प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर अधिकारी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. ए-12035/05/2023-ए(पीएंडटी]

गौरव कटियार, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(Office Of The Development Commissioner)

(MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2024

G.S.R. 232(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Industry, Small Industries Development Organisation Group 'A' and Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Deputy Director (General Administrative Division), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (General Administrative Division) in the Micro, Small and Medium Enterprises, Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Deputy Director (General Administrative Division), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director (General Administrative Division).	5*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700).	selection post.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(a) 60 percent by promotion failing which by deputation; and (b) 40 percent by deputation or absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Director Grade I (General Administrative Division) in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years' regular service in the grade and having successfully completed two weeks of training in the field of administration or establishment or accounts matters. Note:-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their	Departmental Promotion Committee (for considering promotion):- 1 Additional Development Commissioner (Administration), Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) –Chairman; 2. Director or Joint Development Commissioner, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) - Member; and 3. Joint Director, Office of Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation or absorption.

juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation or absorption:** Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administrations,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on regular basis in the level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience,- (i) Bachelor degree from a recognized University or Institute; and (ii) five years experience in administration or establishment or accounts matters. Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A-12035/05/2023-A(P&T)]

GAURAV KATIYAR, Jt. Director (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.03.27 19:03:22 +05'30'